Seat No. 338, Golden Jubilee Hall High Court
Campus Jabalpur M.P. 482001
Mob. No. 8109870226, 7898075935 Email:-
vpshah76@gmail.com

VINAYAK PRASAD SHAH

LL.B., LL.M. ADVOCATE
High Court of Madhya Pradesh
Principal Seat At Jabalpur

Jabalpur, Dated - 01/06/2026

प्रति,

अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल
द्वारा ई-मेल sogad1@mp.gov.in

विषय :-**"मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा नियम, 2026"** के संबंध में आपत्ति एवं सुझाव।

संदर्भ :- सार्वजनिक सूचना, क्रमांक: 3/3/4/02/2026-1-01(GAD) भोपाल, दिनांक: 21/05/2026

महोदय,

विषयांकित और संदर्भित के संबंध में आपत्ति एवं सुझाव निम्नलिखित हैं:-

1. नियम 2(च) में "अन्य पिछड़ा वर्ग" की परिभाषा दी गई है जो संविधान के अनुच्छेद 342A के अनुसार नहीं है। ज्ञात हो कि 102वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2018 और 105वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2021 के अनुसार राज्य सरकार को विधि द्वारा "अन्य पिछड़ा वर्ग" की सूची जारी करना चाहिए।

2. नियम 14 और 15 के द्वारा अनारक्षित पदों को उच्च जातियों के लिए आरक्षित करने वाले प्रावधान किए गए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अनारक्षित पदों को सभी के लिए खुला रखना होगा। भारतीय संविधान में आरक्षण व्यवस्था SC, ST और OBC के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए है लेकिन नियम 14(1) और 15(1) के अनुसार SC, ST और OBC के प्रतिनिधित्व को कम करने वाले हैं जो इन आरक्षित वर्ग के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं।

3. नियम 14(1) और नियम 15 (1) में यह उपबंधित किया गया है कि आरक्षित वर्ग को दिए जाने वाले शिथिलीकरण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को अनारक्षित पदों पर चयनित नहीं किए जाएंगे । इस प्रकार जहां एक तरफ आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु शिथिलीकरण का लाभ दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ शिथिलीकरण का लाभ लेने पर अनारक्षित पदों पर चयनित होने के अधिकार को छीना जा रहा है जो संविधान में उपबंधित आरक्षण व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है साथ ही साथ अनारक्षित पदों पर चयनित होने रोक लगा कर अनारक्षित पदों को कुछ सीमा तक आरक्षित किया जा रहा है। इसलिए ऐसे उपबंधों को हटाया जाना चाहिए और उसके साथ स्पष्टीकरण जोड़ना चाहिए कि शिथिलीकरण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को भी अनारक्षित पदों पर चयनित किया जाएगा।

Seat No. 338, Golden Jubilee Hall High Court
Campus Jabalpur M.P. 482001
Mob. No. 8109870226, 7898075935 Email:-
vpshah76@gmail.com

VINAYAK PRASAD SHAH
LL.B., LL.M. ADVOCATE
High Court of Madhya Pradesh
Principal Seat At Jabalpur

Jabalpur, Dated - 01/06/2026

4. नियम 15 (1) में यह उपबंधित किया जाए कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम तैयार करने में प्रथमतः अनारक्षित वर्ग की सूची बनाई जाएगी जिसमें गुणानुक्रम के आधार पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाएगा।

5. नियम 15 (1) के प्रथम परंतुक हटाकर उसके स्थान पर स्पष्टीकरण जोड़ना चाहिए कि किसी भी प्रकार से शिथिलीकरण का लाभ लेने वाले आरक्षित वर्ग से अभ्यर्थियों को भी अनारक्षित पदों पर गुणानुक्रम के आधार पर चयनित किया जाएगा।

6. लिखित (मुख्य) परीक्षा का परिणाम तैयार करने में प्रथमतः अनारक्षित वर्ग की सूची बनाई जाएगी जिसमें गुणानुक्रम के आधार पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाएगा। स्पष्टीकरण जोड़ना चाहिए कि शिथिलीकरण का लाभ लेने वाले आरक्षित वर्ग से अभ्यर्थियों को और प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षित वर्ग से उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को भी गुणानुक्रम के आधार पर अनारक्षित पदों पर चयनित किया जाएगा।

7. साक्षात्कार या मौखिक परीक्षा के बाद अंतिम चयन सूची तैयार करने में प्रथमतः अनारक्षित वर्ग की सूची बनाई जाए। जिसमें गुणानुक्रम के आधार पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाएगा। स्पष्टीकरण जोड़ा जाए कि शिथिलीकरण का लाभ लेने वाले आरक्षित वर्ग से अभ्यर्थियों को और प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा में से किसी एक में या दोनों में आरक्षित वर्ग से उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को भी गुणानुक्रम के आधार पर अनारक्षित पदों पर चयनित किया जाएगा।

8. नियम 15 (1) के द्वितीय परंतुक को हटाकर उसके स्थान पर स्पष्टीकरण जोड़ना चाहिए कि यदि आरक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यार्थी जो अंतिम चयन सूची में अनारक्षित सूची में चयनित हुए हैं और उच्चतर पद प्राप्त करने में अपने आरक्षित वर्ग के पद को ग्रहण करता है तो ऐसे अभ्यार्थी को अनारक्षित वर्ग में चयनित स्वीकार किया जाए न कि आरक्षित वर्ग में।

जबलपुर :
दिनांक: 01/06/2026

विनायक प्रसाद शाह
अधिवक्ता
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर